

नियम 19 : रजिस्ट्रीकरण में संशोधन

- (1) रजिस्ट्रेशन के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 ¹[या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संयुक्त करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में] या प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करते समय या समय-समय पर यथा-संशोधित कोई परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन से पन्द्रह दिवस के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित, आवेदन या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि—

(क) परिवर्तन निम्न से संबंधित है—

- (i) कारबार का विधिक नाम;
- (ii) कारबार के प्रमुख स्थान या कारबार के किसी अन्य अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का पता; या
- (iii) भागीदारी या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यास बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य के जोड़ने, हटाने या सेवानिवृत्ति पर, कारबार के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उत्तरदायी है;

धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का वारंट रद्दकरण नहीं होता उचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करेगा और इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी-15 में एक आदेश जारी करेगा और ऐसा वारंटिंग संशोधन की घटना घटने की तारीख से प्रभावी होगा;

(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में खंड (क) के उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) से संबंधित परिवर्तन समान स्थायी खाता संख्या पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त सभी रजिस्ट्रीकरणों पर लागू होगा; (ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित परिवर्तन होता है, तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा;

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबार के गठन में कोई परिवर्तन होने पर उक्त व्यक्ति नये रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन करेगा :

परन्तु यह और कि इस नियम समय-समय पर यथासंशोधित के अधीन प्रस्तुत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, ²[नियम 8 का उपनियम

¹ अधिसूचना क्रमांक 07/2025-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन प्रभावशील नहीं किया गया है।

² अधिसूचना क्रमांक 7/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा “उक्त नियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।

(2)] के अधीन उपबध्दित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आनलाईन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

- ³[(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की किसी विशिष्ट का, लेखब) किए जाने वाले कारणों से आयुक्त के आदेश के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख से, जो सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-14** में आवेदन प्रस्तुत करने, की तारीख से पूर्वतः हो, संशोधन नहीं किया जाएगा।]
- (2) जहां उचित अधिकारी की राय है कि उप-नियम (1) में चाहा गया संशोधन या तो वारंटेड नहीं है या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या गलत है, तो वह **प्ररूप जीएसटी आरईजी-14** में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-03** में सूचना तामील कर सकेगा, उक्त सूचना की तामील के सात कार्य दिवसों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए, कि क्यों न उप-नियम (1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए।
- (3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-नियम (2) के अधीन कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-04** में प्रस्तुत करेगा।
- (4) जहां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं है या उप-नियम (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में, उप-नियम (3) में विहित अवधि के भीतर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता, तो उचित अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी-05** में आदेश पारित कर सकेगा।(5) यदि उचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है— (क) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, या
- (ख) उप-नियम (3) के अधीन कारण बताओं सूचना के प्रत्युत्तर प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर
- तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र किए गए आवेदन के विस्तार तक संशोधित रहेगा और संशोधित प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

³ अधिसूचना क्रमांक 75/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा उपनियम (1क) अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2017)।